कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13138/2017 नाहर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 31.05.2019 द्वारा श्री नाहर सिंह, को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम, (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के पद पर पूर्ववत पदस्थापित किया गया था एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्री रोहताश्व कुमार का अन्तरिम समायोजन राउमावि गुड़ा पौंख, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 द्वारा श्री नाहर सिंह की याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 04.03.2019 के याचिकार्थी श्री नाहर सिंह एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–03, श्री रोहिताश्व कुमार, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने के कारण श्री नाहर सिंह को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे राउमावि गुडा पौंख, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर अविलम्ब कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

श्री रोहिताश्व कुमार, प्रधानाचार्य, राउमावि गुड़ा पौंख, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम, (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/13138/2017 दिनांकः 21/04/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) झुन्झुनूं।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)